-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 30.07.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **विश्व मानव दुर्व्यापार विरोधी दिवस पर बांदा पुलिस का विशेष अभियान, मानव तस्करी की रोकथाम को लेकर लेबर चौक एवं रेलवे स्टेशन पर चलाया जन-जागरूकता कार्यक्रम।**

विवरण- विश्व मानव दुर्व्यापार विरोधी दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री शिवराज के कुशल मार्गदर्शन में थाना एएचटी (AHT), एसजेपीयू (SJPU), चाइल्ड हेल्पलाइन बांदा, साथी यूपी संस्था, ग्रामीण परंपरा विकास संस्थान, ग्रामीण स्वावलंबन समिति, जीआरपी एवं आरपीएफ की संयुक्त टीम द्वारा लेबर चौक, इंदिरा नगर तथा रेलवे स्टेशन बांदा पर विशेष चेकिंग एवं जन-जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान लेबर चौक पर उपस्थित श्रमिकों को मानव तस्करी के प्रति जागरूक करते हुए बताया गया कि रोजगार, अधिक वेतन अथवा विदेश भेजने के नाम पर दिए जाने वाले झूठे प्रलोभनों से सतर्क रहें। बिना पूरी जानकारी एवं सत्यापन के किसी भी व्यक्ति के साथ कार्य के लिए न जाएँ। अपना पहचान पत्र, मोबाइल फोन तथा परिवार से संपर्क हमेशा बनाए रखें। यदि कोई व्यक्ति जबरन कार्य कराए , बंधक बनाए या धोखे से कहीं ले जाने का प्रयास करे, तो तत्काल थाना एएचटी बांदा अथवा स्थानीय पुलिस को सूचना दें। रेलवे स्टेशन बांदा पर यात्रियों को मानव तस्करी, बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति एवं बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूक किया गया। उन्हें जागरूकता संबंधी पंपलेट वितरित किए गए तथा मानव तस्करी की रोकथाम में पुलिस का सहयोग करने की अपील की गई। इसके अतिरिक्त स्टेशन पर खड़ी ट्रेनों में यात्रा कर रहे यात्रियों को बच्चा चोरी, मानव तस्करी एवं ज़हरखुरानी जैसी घटनाओं से सावधान रहने के लिए प्रेरित किया गया। बच्चों को अपने अभिभावकों के साथ रहने तथा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की तत्काल पुलिस को सूचना देने की सलाह दी गई।

प्रतिवर्ष **30 जुलाई** को **विश्व मानव दुर्व्यापार विरोधी दिवस** (World Day Against Trafficking in Persons) मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराध के प्रति लोगों को जागरूक करना, पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा करना तथा इस अपराध की रोकथाम के लिए सरकारों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और समाज के सामूहिक प्रयासों को मजबूत करना है। मानव तस्करी के माध्यम से लोगों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों, का जबरन श्रम, यौन शोषण, बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम, बाल विवाह, भीख मंगवाने तथा अन्य अवैध गतिविधियों में शोषण किया जाता है।